न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 16/2019

दायर दिनांकः 03/06/2019

निर्णय दिनांक 07/10/2022

—:अनवानः—

श्री हजारी पिता श्री कना जी गुर्जर आयु 54 वर्ष निवासी धनवल तहसील व जिला राजसमन्द।

—अपीलार्थी

—:बनामः—

1. तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्री रामा पिता श्री कना जी गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी धनवल तहसील व जिला राजसमंद।

— रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरुद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 954 दिनांक 27.06.2018 ग्राम धनवल तहसील राजसमंद को तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 27.06.2018 को स्वीकार किया जाने से व्यथित होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः—

1— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

3— श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धनवल में कृषि भूमियां आराजी नम्बर 215, 216,217, 2076/218 व 2088/218 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बिघा 10 बिश्वा स्थित है। उक्त भूमियां पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता श्री कना गुर्जर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। अपीलांट के पिता उक्त श्री कना गुर्जर के फौत होने के पश्चात दिनांक 25/10/1999 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष एक फर्जी व कुटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित भूमियों का नामान्तरण उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम पर खोलने का निवेदन किया, जिसपर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण की जांच कर उक्त वसीयत को फर्जी व व कुटरचित मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त वसीयत को अस्वीकार कर विरासत से उक्त भूमियों का नामान्तरण जरिये नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 15/05/2000 के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर खोल दिया गया, जिसके पश्चात से ही उक्त भूमियों पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सामलाती रूप से काबिज होकर उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। इसके पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा कराने हेतु एक वाद सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया

जिसके मुकदमा नम्बर 48/2016 रे. वाद होकर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 26/05/2016 को बंटवारे की डिक्रि पारीत की गई। उक्त डिक्रि की पालना हेतु अपीलांट द्वारा अग्रीम कार्यवाही करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक अपील बाबत् उक्त नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 15/05/2000 को निरस्त करने हेतु दिनांक 08/06/2016 को अर्थात उक्त नामान्तरण खोले जाने के करीब 16 वर्ष पश्चात सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहां प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 अपील नामान्तरण पर दर्ज कर उक्त अपील पर न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द द्वारा उक्त अपील के रेस्पोडेन्ट हजारी का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व केम्प फरारा में दिनांक 14/06/2017 को निर्णय पारीत कर उक्त अपील के मयाद बिन्दु पर सुनवाई किये बिना ही उक्त अपील को स्वीकार कर अपील को इस आधार पर रिमान्ड कर दिया कि तहसीलदार राजसमन्द स्व. श्री कना के विधिक वासीसान की जांच कर नामान्तरण निर्णित करे। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 17/05/2018 को एक प्रार्थना पत्र उक्त निर्णय दिनांक 14/06/2017 की पालना करने हेतु प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 14/06/2017 के परे जाकर जांच में पाए गए स्व. श्री कना के विधिक वारीसान के नाम पर नामान्तरण नहीं खोल कर अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत कर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलांट की जानकारी के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से पुर्व में निरस्त की गई फर्जी व कुट रचित वसीयत के आधार वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरण जरिये नामान्तरण संख्या 954 दिनांक 27/06/2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर खोल दिया गया । उक्त प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम धनवल के नामांतरण संख्या 954 के नामान्तरण की नकल साथ संलग्न कर उक्त नामान्तरण गलत खोले जाने से दुखी पीड़ित एवं रूष्ट होकर अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार राजसमन्द का उक्त आदेश बाबत नामान्तरण अवैध विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। तहसीलदार राजसमन्द ने जिस वसीयत के आधार पर यह नामान्तरण खोला गया उस वसीयत के सम्बन्ध में पुर्व में जो कार्यवाही की गई तथा पुर्व में वसीयत को अस्वीकार कर नामान्तरण फैसल किया गया उस कार्यवाही को नजर अन्दाज कर यह नामान्तरण फैसल कर दिया गया है जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है जिस न्यायालय के आदेश के आधार पर उक्त नामांतरण खोला गया है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किए बिना ही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से यह नामान्तरण फैसल किया गया है जबकि अपील न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजसमन्द को मात्र मृतक कना के वारीसान की जांच कर तदनुसार नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त प्रकरण में पटवारी, कानादेव का गुडा के द्वारा मृतक कना के वारीसान की जो सूची पत्रावली पर प्रस्तुत की गई उसे नजर अन्दाज कर एवं जांच रिपोर्ट से परे जाकर अवैध रूप से फर्जी एवं कुटरचित वसीयत के आधार पर यह नामान्तरण खोला गया है जो काबिले निरस्त है। उक्त संपुर्ण कार्यवाही के दौरान अपीलांट को किसी प्रकार से कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है तथा न ही अपीलांट को कोई सम्मन नोटिस या कोई सूचना पत्र कभी प्राप्त हुआ है जबकि तहसीलदार अपनी आदेशीका में अपीलांट को बावजूद तामील के अनुपस्थित होना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बताया है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई सूचना पत्र उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट पर तामील होना दर्शीत होता है। एक ओर आदेशीका में अपीलांट को बावजूद तामील के अनुपस्थित होना बताया गया है वहीं दुसरी ओर निर्णय में अपीलांट को उपस्थित बताते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरण खोलने हेतु निवेदन करने की बात लिखी है जो आपस में विरोधभासी है। जिस वसीयत को अस्वीकार कर पुर्व में जो नामान्तरण संख्या 580 खोल गया तथा उक्त वसीयत को किसी भी सिविल न्यायालय से सही होने की घोषणा कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नही कराई गई, इस प्रकार पुर्व में जिस वसीयत को अस्वीकार कर देने के कारण वह विवादित हो चुकी है उसी वसीयत को सही मान कर यह नामान्तरण खोला गया है। वह अवैध एवं विधि विरूद्ध है उक्त वादग्रस्त भूमियों के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारे की डिक्रि पारित की जा चुकी है इस तथ्य को छिपा कर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए बाला–बाजा आनन फानन में यह नामान्तरण खोल दिया गया है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए तथा न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश से परे जाकर, पटवारी की वारीसान सम्बन्धी जांच रिपोर्ट का नजर अन्दाज कर, पुर्व में जिस वसीयत को निरस्त कर दिया गया, उसी वसीयत को सही मानकर यह नामान्तरण संख्या 954 खोला गया है वह अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर उक्त नामान्तरण को निरस्त करने हेतु यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दिनांक 01/04/2019 को अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता होने पर अपीलांट द्वारा नेट के माध्यम से उक्त वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने .पर अपीलांट को उक्त अवैध नामान्तरण खोले जाने की जानकारी हुई जिसपर दिनांक 02/04/2019 को अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त नामान्तरण व इस हेतु कायम की गई पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु तहसीलदार राजसमन्द के यहां आवेदन किया गया । जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त नकल अपीलांट के अणिवकत को दिनांक 08/05/2019 को उपलब्ध कराई गई, जिसके पश्चात यह अपील शीघ्रतम अवसर पर तैयार करवा कर आप न्यायालय में प्रस्तुत कि जा रही है जो अपीलांट को जानकारी होने व नकल प्राप्त होने से अन्दर मयाद पेश है फिर भी नामान्तरण खोले जाने से इसकी जानकारी अपीलांट को होने व नकल प्राप्त होने तक की अवधि को कन्डोन किये जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमंद द्वारा फैसल ग्राम धनवल के नामान्तरण संख्या 954 दिनांक 27.06.2018 को निरस्त करने का आदेश चाहा गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वसीयत नामान्तरकरण की अपील इसी न्यायालय में होती है। विधि वारीसान की जांच कर आदेश पारीत किया जाना है जुरीडीक्शन का कोई बिन्दु नहीं है। वसीयत को सिविल न्यायालय में खारीज नहीं करवाया है। न्यायालय को विधि वारीसान की जांच कर म्युटेशन का डीसाईड करना है। तहसीलदार द्वारा सहायक कलक्टर, राजसमंद के आदेशनुसार कार्यवाही नहीं कर उसी वसीयत के आधार पर म्युटेशन खोल दिया है। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा 2010 के म्युटेशन की अपील 2016 में की है जो 16 वर्ष बाद की है। रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा

बहस में बताया कि 10 माह 17 दिन बाद अपील पेश की गई । अपीलांट को जानकारी थी कि यह पुस्तैनी जायदाद नहीं होकर स्वअर्जित जायदाद होकर श्री रामलाल को वसीयत की है। राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त का है। रेस्पोडेंट सं. 02 द्वारा BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Shri Tarachand saharan : Mamber Vimal Kumar Vs. Mahaveer Prasad & Anr. Revision No. 143/Dausa of 2001 (7731/01) Decided on 25th June, 2010 की नजीर प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–विरासत के आधार पर मृतक के वारीसान के नाम नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष पोषणीय है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135(2) के अंतर्गत पारीत आदेश की अपील संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में होती है। उक्त अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से उक्त अपील सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धनवल में कृषि भूमियां आराजी नम्बर 215, 216,217, 2076/218 व 2088/218 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बिघा 10 बिश्वा स्थित है। उक्त भूमियां पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता श्री कना गुर्जर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। अपीलांट के पिता उक्त श्री कना गुर्जर के फौत होने के पश्चात दिनांक 25/10/1999 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष अनरजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित भूमियों का नामान्तरण उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम पर खोलने का निवेदन करने पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण की जांच कर उक्त वसीयत को फर्जी मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त वसीयत को अस्वीकार कर विरासत से उक्त भूमियों का नामान्तरण जरिये नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 15/05/2000 के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर खोल दिया गया । इसके पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा कराने हेतु एक वाद सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 48/2016 रे. वाद होकर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 26/05/2016 को बंटवारे की डिक्रि पारीत की गई, डिक्रि की पालना हेतु अपीलांट द्वारा अग्रीम कार्यवाही करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक अपील नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 15/05/2000 को निरस्त करने हेतु दिनांक 08/06/2016 को प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 अपील नामान्तरण पर दर्ज कर उक्त अपील पर न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द द्वारा राजस्व केम्प फरारा में दिनांक 14/06/2017 को निर्णय पारीत कर तहसीलदार, राजसमंद को अपील रिमान्ड कर निर्देश दिये कि स्व. श्री कना के विधिक वासीसान की जांच कर नामान्तरण निर्णित करे। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 17/05/2018 को एक प्रार्थना पत्र उक्त निर्णय दिनांक 14/06/2017 की पालना करने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, राजसमंद द्वारा विवादित नामान्तरण को वसीयत के आधार वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरण जरिये नामान्तरण संख्या 954 दिनांक 27/06/2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर खोल दिया जाने से अपीलांट द्वारा रूष्ट होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई

है। राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135(2)–विरासत के आधार पर मृतक के वारीसान के नाम तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पारीत नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष पोषणीय बताया जाने से उक्त अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से उक्त अपील सव्यय खारीज किया जाना उचित है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी श्री हजारी पिता श्री कना जी गुर्जर आयु 54 वर्ष निवासी धनवल तहसील राजसमंद जिला राजसमंद द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135(2)–विरासत के आधार पर मृतक के वारीसान के नाम तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पारीत नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष पोषणीय होकर अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से उक्त अपील सव्यय खारीज की जाती है।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 07.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद